संख्या- 29/2018/1454/60-3-2018-48(सा0)/16

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2018

विषयः-वन स्टाप सेन्टर स्कीम के क्रियान्वयन हेतु जनपद-इलाहाबाद तथा गाजीपुर के लिये धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-486/निदे0म0क0/अनुदान/2018-19, दिनांक 09.08.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-इलाहाबाद तथा गाजीपुर के लिये वन स्टाप सेन्टर स्कीम के क्रियान्वयन हेतु बजट प्रावधानित धनराशि कुल रू0-15.26 लाख (रूपये पन्द्रह लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः-

(1) महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-834/60-1-2018, दिनांक 19.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष की समेकित वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी हैं। उक्त शासनादेश के संलग्नक के क्रमांक-18 में वन स्टाप सेन्टर स्कीम हेतु प्रावधानित बजट धनराशि रू0-15.26 लाख की धनराशि स्वीकृति कर निदेशक के निवर्तन पर रखी गयी है। इस स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट धनराशि अवमुक्त कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आधी-आधी धनराशि अर्थात् रू0-7.63 लाख इलाहाबाद तथा गाजीपुर प्रत्येक जनपद को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपभोग किसी भी दशा में अन्य किसी योजना/नई मदों के लिये नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-0205-वन स्टाप सेन्टर (ओ.एस.सी.) (के. 100/रा. 0-के.)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/10-2018-231/2018/ई-4-दस-2018, दिनांक 30.03.2018 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1454 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद/गाजीपुर।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।